File No.81-7005(099)/274/2020-07-, पत्रांक : 4160/…/एन एस कैम्प/21
दिनांक : 3/12/2021

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को अपरान्ह 12:00 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2021 को लोक भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन।
3– श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– श्री राम लवट त्रिपाठी, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– श्री मुश्ताक अहमद, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– श्री राजेश कुमार पाण्डेय, एपीडी/विशेष सचिव, नमामि गंगे विभाग, उ0प्र0 शासन।
10–श्री सुशील कुमार पटेल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11–श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
13–नगर आयुक्त, गोरखपुर।
14–श्री अनिल कुमार, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
15–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
16–अधिशासी अधिकारी, खलीलाबाद एवं नगर पंचातय, मगहर।

MoM
CEO (C-6)
03/12/21
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

2– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं पूर्व में उक्त के उल्लंघन हेतु अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद की सुनवाई दिनांक 06.12.2021 को नियत है।

3– बैठक में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु निम्नवत् बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी है :–

1– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन का कार्य :–

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत मगहर में फीकल स्लज शोधन हेतु 32 के0एल0डी0 क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु शासनादेश निर्गत किये जा चुके है तथा टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है एवं नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में फीकल स्लज शोधन हेतु 32

के0एल0डी0 क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु शासनादेश शीघ्र निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त दोनों एफ0एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य माह जून, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अन्तरित व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण के हेतु बायोरेमिडेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य में विलम्ब के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एफ0एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु स्वीकृति सुनिश्चित करते हुए दोनों निकायों में निर्धारित समयावधि में स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

2– <u>गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना :–</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 62.50 करोड़ की लागत से 7.5 एमएलडी क्षमता का सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना औद्योगिक विकास विभाग एवं रू0 17 करोड़ की धनराशि गीडा द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है तथा शेष धनराशि एन0एम0सी0जी0 से स्वीकृत की जानी है। इस सम्बन्ध में एन0एम0सी0जी0 द्वारा दिनांक 29.11.2021 को बैठक प्रस्तावित है, जिसमें डी0पी0आर0 की स्वीकृति होनी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन दिनांक 24.11.2021 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण लखनऊ में किया गया तथा पावती प्राप्त हो गयी है। विगत बैठक दिनांक 08.10.2021 में निर्णय लिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाय किन्तु आवेदन दिनांक 24.11.2021 को किया गया है जो उचित नहीं है।

अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि विलम्ब से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु शेष धनराशि की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से फालोअप कर डी0पी0आर0 को शीघ्र अनुमोदित कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही कराया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/ एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

3– <u>जल निगम द्वारा रामगढ़ ताल में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरणः–</u>

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ ताल में मुख्यतः 24 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें मुख्य 06 नालों के सीवेज का शुद्धिकरण एस0टी0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 18 नालों के शुद्धिकरण हेतु सीवेज नेटवर्क एवं 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य अमृत योजना (प्रस्तावित समय सीमा–मार्च, 2022) एवं आर0के0वी0के0 परियोजना (प्रस्तावित समय सीमा–मई, 2023) के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन द्वारा उक्त 18 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नालों की

टैपिंग में विलम्ब के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम के 03 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा नालों की टैपिंग संबंधी कार्यों की टाईमलाईन की गहन समीक्षा करें तथा युद्ध स्तर पर कार्यों को न्यूनतम समय–सीमा में पूर्ण करायें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– <u>राप्ती नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण:–</u>

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर स्थित राप्ती नदी एवं उसकी सहायक नदियों में मुख्यतः 15 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिनमें 08 मुख्य नालों हेतु 44 एम0एल0डी0 की स्थापना के संबंध में डी0पी0आर0 धनराशि रू0 271.84 करोड़ स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया गया है एवं कार्य पूर्ण किया जाना माह सितम्बर, 2024 प्रस्तावित है, एक मुख्य ड्रेन जिसमें 10 एम0एल0डी0 की स्थापना की जानी है, को अमृत–2.0 में लिया जायेगा (प्रस्तावित समय सीमा–सितम्बर, 2024) तथा शेष 06 मुख्य ड्रेन को भी अमृत–2.0 में लिया जायेगा (प्रस्तावित समय सीमा–मार्च, 2024) है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन द्वारा उक्त 15 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राप्ती नदी के उक्त 15 नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर धनराशि स्वीकृत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से वित्त पोषित कराये जाने की संभावनाओं को भी ज्ञात कर लिया जाय।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त/नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– <u>सरयू नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सरयू नदी में 22 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें 05 नाले टैप हैं तथा एस0टी0पी0 द्वारा सीवेज का शुद्धिकरण हो रहा है। शेष 16 नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 06 एम0एल0डी0 एवं 33 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 एस0टी0पी0 स्वीकृत है। फैजाबाद कैंट एरिया का 01 नाला तथा निर्मली कुण्ड की टैपिंग हेतु योजना अभी तैयार की जा रही है, जिसके लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा डी0पी0आर तैयार करने हेतु धनराशि की मांग नमामि गंगे विभाग से की गयी है। नगर विकास विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अयोध्या हेतु सीवरेज नेटवर्क स्वीकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरयू नदी के 16 नालों की टैपिंग एवं सीवेज शोधन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त 01 नाला की डी0पी0आर0 तैयार कराकर उसके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/ एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम)

6– <u>घाघरा नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि घाघरा नदी में 19 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है तथा उक्त नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 04 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिनकी प्रस्तावित क्षमता क्रमशः 15 एम0एल0डी0, 2.5 एम0एल0डी0, 6 एम0एल0डी0 एवं 6 एम0एल0डी0 है। उक्त सभी एस0टी0पी0 की कार्य पूर्ण होने की समय – सीमा सितम्बर, 2024 प्रस्तावित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि घाघरा नदी के नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उक्त योजनाओं में वित्त पोषण की संभावनाओं को ज्ञात कर लिया जाय तथा अन्यथा की स्थिति में वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के प्रस्ताव तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/ उ0प्र0 जल निगम)

7– <u>नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की स्थापनाः–</u>

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण किये जाने हेतु मगहर रोड पर ग्राम–सुथनी एवं भीटी रावत में 10.36 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर क्रय कर लिया गया है। एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 31.579 करोड़) जल निगम द्वारा तैयार कर नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी है, डी0पी0आर0 में समय सीमा दिसम्बर, 2022 प्रस्तावित की गयी है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु ई0एफ0सी0 दिनांक 26.11.2021 को होनी है तथा दिनांक 06.12.2021 के पूर्व स्वीकृति के संबंध में शासनादेश निर्गत हो जायेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 31.579 करोड़) को अनुमोदित कराते हुए शासनादेश दिनांक 06.12.2021 के पूर्व निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

8– <u>राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल को वेटलैण्ड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

सिचांई विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के वेटलैण्ड घोषित किये जाने संबंधी नोटिफिकेशन कर दिया गया है तथा नदियों के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के सीमांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अतिक्रमण को हटाने का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त नदियों एवं रामगढ़ ताल में अतिक्रमण हटाने का कार्य पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 30.11.2021

तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, गृह/सिचाई/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/संबंधित जिलाधिकारी/गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

9– <u>मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड:–</u>

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ जमा नहीं की गयी है। सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल कालेज द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पुनर्विचार हेतु रिव्यू पिटीशन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दाखिल की गई है। उक्त के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल कॉलेज के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रिव्यू हेतु प्राधिकार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित को दिनांक 24.11.2021 को अवगत कराया जा चुका है। सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रिव्यू एप्लीकेशन मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 29.11.2021 तक दाखिल कर दी जायेगी।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग)

10– <u>लखनऊ में सीवेज मैनेजमेन्ट के गैप को समाप्त किये जाने के संबंध में:–</u>

प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में लगभग 784 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होता है, जिसमें से वर्तमान में 445 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 एस0टी0पी0 लखनऊ शहर में कार्यरत है। 120 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, जिसकी समय सीमा दिसम्बर, 2022 है तथा अतिरिक्त 39 एम0एल0डी0 एवं 01 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, जिनकी समय सीमा फरवरी, 2023 है। इसके अतिरिक्त 03 एस0टी0पी0 जिनकी क्षमता क्रमशः 22 एम0एल0डी0 80 एम0एल0डी0 एवं 85 एम0एल0डी0 है, को नमामि गंगे फेज–2 में सम्मिलित किया गया है तथा कार्य पूर्ण किये जाने की प्रस्तावित माह सितम्बर, 2024 है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाय एवं जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है उनके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11– <u>लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन:–</u>

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन न किये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध रू0 14.4071 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित की गयी है एवं एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट आपरेटर मेसर्स इको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, सीवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 25.3271 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट में डम्प लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन का कार्य समय से न प्रारम्भ करने हेतु मेसर्स इको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, सीवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 2.1 करोड़ का दण्ड नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली धनराशि के सम्बन्ध मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाये तथा लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन कार्य की प्रगति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचित करते हुए बायो–रेमेडियेशन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– बैठक के अंत में निम्न निर्देश दिये गये :–

1) सभी कार्यों की कार्ययोजना बना ली जाए तथा इनकी फेजिंग करते हुए टाइम–लाइन बना लिया जाए। इसे माननीय एन0जी0टी0 के संज्ञान में भी लाया जाए।

2) आमी, राप्ती, सरयू एवं घाघरा नदियों में गिरने वाले नालों की टैपिंग से संबंधित सीवेज नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है उनमे कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा नगर विकास विभाग मासिक समीक्षा कर कार्यों को न्यूनतम अवधि में कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण करायें।

3) जिन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग/एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

4) सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों में निहित अपने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति, अनुपालन पूर्ण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण समय–सीमा सहित कार्ययोजना, अनुपालन में विलम्ब का औचित्य तथा कृत कार्यवाही की आख्या के संबंध में टॉक्सिं बुलेट बिन्दु तैयार कर 30 नवम्बर, 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ईमेल– **soenvups@rediffmail.com**) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल– **ms@uppcb.in**) को प्रेषित किया जाय। उक्त अनुपालन की स्थिति में विगत आदेश दिनांक 07.09.2021 के पश्चात् मा0 एन0जी0टी0 के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति का पृथक से समावेश अवश्य हो।

5) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही – समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-40/81–7–2021–44(रिट)/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक :02 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, लखनऊ।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

7– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।